आपराधिक प्रकरण कमांक 700376/2016

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 700376 / 2016 इ०फो० संस्थापित दिनांक 04 / 07 / 2016 फाईलिंग नम्बर 2303008122016 मध्यप्रवे गोहद,

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

..... अभियोजन

बनाम

- 1. श्रीमती कलावती पत्नि भूपेन्द्र सेजवार आयु 50 वर्ष
- 2. श्रीमती मिथलेश पुत्री भूपेन्द्र आयु 26 वर्ष
- पप्पू उर्फ भूपेन्द्र सेजवार पुत्र ग्याप्रसाद सेजवार आयु 52 वर्ष
- कु० रूबी पुत्री पप्पू उर्फ भूपेन्द्र सेजवार, आयु २० वर्ष, समस्त निवासीगण खटीक मोहल्ला, गोहद,जिला भिण्ड म0प्र०

<u>....अभियुक्तगण</u>

(अपराध अंतर्गत धारा—294, 324 / 34, 323 एवं 506 भाग 2 भादस) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री राजीव शुक्ला उप0)

<u>::- नि र्ण य -::</u> (आज दिनांक 08 / 12 / 2016 को घोषित <u>कि</u>या)

आरोपीगण पर दिनांक 19.06.16 को सुबह करीबन 9 बजे किसन एडीआई की बोर खटीक मोहल्ला वार्ड क. 4 गोहद में रोड पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी बबीता को मां—बहनकी अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, बबीता को जानसे मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी बबीता की लात—घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने तथा आहत काजल की मारपीटकर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु आरोपी मिथलेश एवं कलावती पर भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग 2, 323 एवं 324/34 तथा आरोपी रूबी एवं पप्पू पर भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग 2, 324 एवं 323/34 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.06.16 को सुबह करीबन नौ बजे फरियादी बबीता पानी भरने किशन ए डी आई के बोर पर गयी थी, तो वहाँ पर आरोपी कलावती एवं मिथलेश ने उसे पानी भरनेसे मना किया था तथा इसी बात पर कलावती एवं मिथलेश ने उसे मां—बहनकी बुरी—बुरी गालियां दी थीं। जब उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो कलावती एवं मिथलेश ने उसकी लातह—घूसों से मारपीट की थी जिससे उसके बांये हाथ की कलाई एवं दाहिने हाथ के अंगूठे में चोट आयी थी, उसे बचाने उसकी लड़ाई काजल आई थी तो रूबी और पप्पू ने काजल की भी लात—घूसों से मारपीट की थी जिससे काजल के हाथ एवं सिर में चोटें आई थीं। मौके पर रिव खटीक एवं मोहल्ले के लोग आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी एवं बीच—बचाव किया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थानागोहद में अपराध क. 156/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबध्द किये गये थे। आरोपीगण को गिरफतार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी बबीता एवं आह्त काजल द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाब के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी मिथलेश एवं कलावती को भा.दं. सं. की धारा 294, 323, एवं 506 भाग 2 तथा आरोपी रूबी एवं पप्पू को भां.दं.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग 2 के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी मिथलेश एवं कलावती पर भा.दं.सं. की धारा 324/34 एवं आरोपी रूबी तथा पप्पू पर भां.दं.सं. की धारा 324 के अंतर्गत विचारण शेष है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :—
- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 19.06.16 को सुबह करीबन नौ बजे किशन ए डी आई के बोर खटीक मोहल्ला वार्ड कमांक 4 गोहद में सामान्य आशय के अग्रसरण में आह्त काजल की मारपीट कर उसे दाँतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी बबीता अ.सा. 1 एवं आह्त काजल अ.सा. 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्नके संबंध मे फरियादी बबीता अ.सां. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग छ सात महीने पहले की सुबह नौ दस बजे की है। वह पानी भरने बोर पर गयी थीं तो वहाँ पर आरोपी कलावती, मिथलेश , रूबी एवं पप्पू भी पानी भरने आये थे। पानी भरने के उपर आरोपीगण से उसका मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गाली गलीच कर दी थी। अन्य कोई बात नहीं हुयी थी। उसने इसी बात की

आपराधिक प्रकरण कमांक 700376/2016

रिपोर्ट थाना गोहद में की थी, जो प्रदश पी 1 है जिसपर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है जिसपर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोशित कर सूचक प्रश्न पूछने जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगडे के दौरान आरोपीगण ने उसकी लात घूसो से मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि जब काजल उसे बचानेआयी थी तो रूबी और पप्पू ने काजल की भी लात—घूसों से मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोापीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोट प्रदर्श पी 1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 में पुलिस को लिखायी थी।

- 8. आहत काजल अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में घटना दिनांक को आरोपीगण से उसका एवं उसकी मां बबीता का मुंहवाद होना एवं आरोपीगण द्वारा गाली गालौच करना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी व उसकी मां बबीता की मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पण्पू ने उसे दांतों से काट लिया था।
- 9. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी बबीता अ.सा. 1 एवं आहत काजल अ.सा. 2 ने अपने कथन में आरोपगण से मात्र मुंहवाद होना एवं आरोपीगण द्वारा गाली गालौच करना बताया है तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उनकी मारपीट की थी। स्वयं आह्त काजल अ.सा. 2 द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि झगड़े के दौरान पप्पू ने उसे दांतों से काट लिया था। फरियादी बबीता अ.सां. 1 ने भी इस तथ्य से इंकार किया गया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 में पुलिस को लिखायी थी।
- 10. इस प्रकार फरियादी बबीता अ.सा. 1 एवं आहत काजल अ.सा. 2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण द्वारा मारपीट करने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने आहत काजल की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहित काारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 11. यह अभियोजन दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरूध्द अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपीगण के विरूध्द मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषम्कित उचित है।
- 12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 19.6.16 को सुबह करीबन नौ बजे किशन ए डी आई के बोर खटीक मोहल्ला वार्ड क. 4 गोहद में सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत काजल की मारपीट कर उसे दॉतो से काटकर उसे स्वेच्छया उपहित काारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी रूबी एवं पप्पू को भा.द.स. की धारा 324 एवं आरोपी मिथलेश तथा कलावती को भा द स. की धारा 324 / 34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

4 आपराधिक प्रकरण कमांक 700376 / 2016

- 13. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 14. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान — गोहद
दिनांक — 09/12/2016
निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।
सही/—
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

TARIS SUNTAI

ETIMEN PAROLET BUSTIN TELL STATE